

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग


अधिसूचना

पटना, दिनांक- 21/08/19

संघिका सं०-17/विविध 2-07/2014 ...652(17) स्वा०, डा० ज्योति कृष्ण दास, प्राचार्य, वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी के दिनांक-31.07.2019 के प्रभाव से वार्धक्य सेवानिवृति हो जाने के फलस्वरूप डा० पवन कुमार चौधरी, प्राध्यापक, पैथोलॉजी विभाग, वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालंदा को अंतरिम व्यवस्था के तहत अधिसूचना निर्गत की तिथि से नियमित पदस्थापन होने तक प्राचार्य, वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालंदा के पद का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

2. डा० चौधरी को वित्त विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं०-9262 दिनांक-01.10.2011 द्वारा अधिसूचित बिहार कोषागार संहिता, 2011 नियम-84 के अन्तर्गत उक्त संस्थान के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की शक्ति प्रदान की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


(विवेकानन्द ठाकुर)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :-17/विविध 2-07/2014 - 652 (17) पटना, दिनांक :- 21/08/19

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले०एवंह०), बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै०दा०नि०कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला कोषागार पदाधिकारी, नालंदा, बिहारशरीफ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, नालंदा, बिहारशरीफ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


प्रतिलिपि :- प्राचार्य/अधीक्षक, वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- डा० पवन कुमार चौधरी, प्राध्यापक, पैथोलॉजी विभाग, वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर सचिव, (कौशल किशोर)/प्रशाखा पदाधिकारी-प्रशाखा 01,02,08 एवं 09, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं राजपत्र के प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई० टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


21/08/19

सरकार के अवर सचिव।